

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ecf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ () 2022-23/एफसीए/मुवसभ/ 5974

दिनांक 09, 09, 2022

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Laying of underground optical fiber cable along the NH-21 (old NH-11) road within the existing row from Mahuwa to via Halena- Bharatpur. Online Proposal No.- FP/RJ/OFC/47243/2020

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2204 दिनांक 29.06.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 5468 दिनांक 23.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त आक्षेप की उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	The proposed OFC has to be laid in existing ROW, then why CA schemes and CA documents are uploaded while CA scheme is not applicable in OFC cases of ROW. Please clarify.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक File No. 8b/raj017/2022-jpr Dated 27.04.2022 के आक्षेप बिन्दु संख्या i. Details of CA is not uploaded on PARIVESH Portal. Thus, State Govt. is requested to submitted CA area along with CA scheme, CA map and KML file as per para 2.8 (iii) of FCA Handbook, 2019. की अनुपालना में उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा CA scheme अपलोड की गयी है।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।

भवदीय

1-9/9/22

(डॉ. सी. आर. मीणा)
वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)
भरतपुर